



गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ0ग0)

[ A Central University Established by the Central Universities Act, 2009 No. 25 of 2009 ]

क्र. 4207 / भंडार / 2015

बिलासपुर, दिनांक 26.2.15

कार्यालयीय ज्ञाप

केंद्रीय कय समिति की बैठक दिनांक 06.01.2015 में लिये गये निर्णय अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा Chemical, Glassware आदि सामग्रियों के आपूर्तिकर्ताओं/फर्मों का विश्वविद्यालय में पंजीयन किये जाने हेतु उपलब्ध वर्गों की सूची में वर्ग CXXIII मान्य किया गया है।

Chemical, Glassware आदि के आपूर्तिकर्ता फर्मों को इस श्रेणी में पंजीबद्ध किया जायेगा।

आदेशानुसार

सहायक कुलसचिव (भंडार)

पृ.क्र. 4208 / भंडार / 15

बिलासपुर, दिनांक 26.2.15

प्रतिलिपि:-

- 01 कुलपति जी के सचिव की ओर कुलपति जी के सूचनार्थ ।
- 02 कुलसचिव जी के निज सहायक को कुलसचिव जी के सूचनार्थ ।
- 03 समिति के सम्मानीय समन्वयक/सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 04 विभागाध्यक्ष, संगणक विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर सूचनार्थ एवं वेबपटल पर जारी किये जाने की कार्यवाही हेतु ।
- 05 कार्यालयीन प्रति ।

सहायक कुलसचिव (भंडार)

CSIT/613  
26/2/15  
26/2/15